उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
संख्या- 22/2018/706/71-2-2018-116/2015
लखनऊ : दिनांक 19 फरवरी, 2018

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर में स्वतंत्र फीडर की स्थापना हेतु 20 एम0वी0ए0 विद्युत भार की व्यवस्था किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-19/2018/6145/71-2-17-116/2015, दिनांक 06 फरवरी, 2018 द्वारा रू0 2171.83 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में लागत का 40 प्रतिशत रू0 8,68,73,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में अंकित "धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे" के स्थान पर **"धनराशि को कोषागार से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा आहरित कर, कार्यदायी संस्था प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी" पढा व समझा जाय।**

2- उक्त शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2018 के प्रस्तर-2 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या- 22/2018/706(1)/71-2-18-तद्दिनांक

1) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग/लोक निर्माण विभाग/आवास विभाग/ऊर्जा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5) जिलाधिकारी, गोरखपुर।
6) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/निदेशक (तकनीकी), पूर्वान्चल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी।
8) अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्य मण्डल, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, गोरखपुर।
9) अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, गोरखपुर।
10) वित्त अधिकारी, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
11) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
12) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।